<u>न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर</u>

पीठासीन अधिकारी - **जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस.**

प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं.- 227/2026

सी.आई.एस. सं.- 33/2026

सी.एन.आर नंबर- RJAL020204302026

पुलिस थाना- अरावली विहार, अलवर

अपराध अंतर्गत धारा- 119(1), 351(2), 118(1), 3(5) BNS

1. मिन्टु उर्फ माधव पुत्र राजेश सैनी, आयु- 24 वर्ष, निवासी- 348 ए के सामने सोनावा डूंगरी, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर

-- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

--- अप्रार्थी/परिवादी

<u>जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023</u>

उपस्थितः-

1. श्री अख्तर हुसैन, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अभियोजन अधिकारी- अप्रार्थी/राज्य की ओर से।

आदेश **<u>दिनांक 11.08.2026</u>**

1. यह जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। नकल अभियोजन अधिकारी को दिलायी गयी।

2. बहस प्रार्थना-पत्र उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं भाग कर जाने की अंदेशा नहीं है। प्रार्थी आदेशानुसार जमानत-मुचलके पेश करने को तैयार हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की भी सम्भावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर, उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

3. जबकि अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का कडा विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित है कि दिनांक 16.06.2026 को, परिवादी मोहित सिंह चौहान द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के समक्ष एक तहरीर रिपोर्ट इन संक्षिप्त तथ्यों की प्रस्तुत की गयी कि 14.06.2026 को समय करीब रात के 12 बजे वह देवयानी हास्पिटल के पास में पोस्ट आफिस के सामने खडा था। 4 व्यक्ति एक मोटरसाईकिल से आए और उतरकर उससे

बात करने लगे। वो लोग नशे में थे और उससे पैसे मांगने लगे तो परिवादी ने देने से मना कर दिया। जिस पर मिंटू ने उसकी जांघ पर धारधार चक्कू से हमला कर दिया और वह चाकू जांघ में अन्दर घुस गया। चोट के बाद सेटेलाईट अस्पताल में गया और वहां से उसे सामान्य चिकित्सालय जिला अस्पताल में भेज दिया। उसकी जांघ में 4 टांके आए है। मिंटू व विशाल परिवादी को मारने की धमकी दे रहे हैं.... आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अरावली विहार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 227/2026, अंतर्गत धारा 119(1), 351(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

5. बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 119(1), 351(2), 118(1), 3(5) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 09.08.2026 को गिरफ्तार किया जाकर, न्यायालय में पेश किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध केस डायरी पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न है:-

क्र. सं.	मु.नं.	धारा	चार्जशीट नं.	थाना
1	67/26	331(4), 305(d), 112(2) BNS	86/20.04.26	अरावली विहार, अलवर
2	120/25	305 BNS	07.12.25	न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम
3	193/25	115(2), 126(2), 112(2), 310(2) BNS	212/02.09.25	थानागाजी, अलवर
4	54/25	304(1), 3(5),317(2) BNS	347/12.09.25	अरावली विहार, अलवर
5	867/24	305(a), 331(4), 3(5) BNS	655/19.11.24	कोतवाली, अलवर
6	276/26	-	जैर तफ्तीश	-
7	227/26	-	जैर तफ्तीश	-

6. केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 119(1), 351(2), 118(1), 3(5) BNS के गंभीर आक्षेप अधिरोपित किये गये है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी अनेक प्रकरण दर्ज हैं जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त आदतन अपराधी है। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ रही है। यदि इस प्रकार के मामलों में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावेगा तो इससे अपराधियों के हौंसले बुलंद होंगे तथा साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना बनी रहेगी।

7. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए, गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश निम्नवत् है;

– आदेश –

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **मिन्टु उर्फ माधव** पुत्र राजेश सैनी, आयु- 24 वर्ष, निवासी- 348 ए के सामने सोनावा डूंगरी, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-3, जिला अलवर

9. आदेश आज दिनांक 11.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-3, जिला अलवर